UPAG010062752026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01906

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2664/2026

दिनेश सिंह तोमर पुत्र श्री तुकमान सिंह निवासी– 31/ए–185, राजपुर चुंगी, उखर्रा मार्ग, लक्ष्मीपुरम, थाना सदर बाजार कमिश्नरेट, आगरा उम्र करीब 43 वर्ष

——— – आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य ———————— अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0: 191/2026
धाराः 318(4),338,336(3),61(2),352
भारतीय न्याय संहिता
थानाः एकता, जिला आगरा

दिनांकः 15.06.2026

आवेदक/अभियुक्त दिनेश सिंह तोमर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0 191/2026 अन्तर्गत धारा 318(4),338,336(3),61(2),352 भारतीय न्याय संहिता थाना एकता, आगरा के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के पैरोकार प्रदीप सिंह ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णित है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। वादी द्वारा सिविल प्रकृति के मामले में आपराधिक रंग देकर झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा वादी के साथ कोई छल नहीं किया गया है। वादी के पिता द्वारा जीवित होते हुए भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी। कथित इकरारनामा दिनांक 13.01.2026 का है, जब कि प्राथमिकी चार माह बाद दर्ज कराई गयी है। वादी के पिता संजय कुमार द्वारा अपनी मर्जी से भूमि का इकरारनामा दिनांक 13.01.2026 को पंजीकृत किया गया था, जिसमें

बयाना के तौर पर मु0 23 लाख रूपये के चैक दिये गये। अभियुक्त इस सौदे में केवल 30 प्रतिशत का स्वतंत्र खरीददार है, उसका अन्य लोगों से कोई भी विवाद नहीं है। अभियुक्त के खाते में आज भी 70,07,586 रूपये जमा हैं। वादी का आरोप है कि अभियुक्त द्वारा फर्जी चैक देकर छल किया गया है, यह आरोप गलत है। इकरारनामा के समय दो लाख रूपये अभियुक्त द्वारा वादी के पिता के खाते में प्रदान कर दिया गया था एवं सह विक्रेता विवेक यादव द्वारा दिया गया चैक मु0 तीन लाख रूपये का भुगतान अपने खाते में करवाया गया था। जहां तक चैक संख्या 184807 मु0 छह लाख रूपये का प्रश्न है, सह विक्रेता विवेक यादव या अभियुक्त के नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में नहीं था एवं बैंक मीमो की तकनीकी टिप्पणी से यह स्पष्ट होता है कि चैक का भुगतान धन के अभाव में नहीं रूका है। जिस बैंक शाखा में वादी के पिता द्वारा भुगतान हेतु चैक प्रस्तुत किया गया था, उक्त बैंक की शाखा वादी के पिता की जमीन पर बनी इमारत में मौजूद है, अतएव इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि बैंककर्मी को अपने प्रभाव में लेकर चैक पर गलत टिप्पणी अंकित कराई गयी है। वादी के पिता द्वारा पूर्व में तीन लाख रूपयों का भुगतान प्राप्त किया गया था। यदि चैक में कोई अड़चन आई थी तो पुनः आर0टी0जी0एस0 या अन्य कोई वैकल्पिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया तथा चैक का भुगतान न होने के संबंध में सूचित न करना एवं प्राथमिकी दर्ज करा देना, यह सिद्ध करता है कि वादी द्वारा अनैतिक दबाव बनाने के आशय से यह अभियोग दर्ज कराया गया है। वादी के पिता द्वारा स्वयं भौतिक रूप से बैंक जाकर बैंक अधिकारियों से चैक की प्रक्रिया पूर्ण करवाई गयी है तथा अपने खाते में तीन लाख रूपये का आर0टी0जी0एस0 प्राप्त किया गया। जब कि दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति स्वयं बैंक जाकर पैसों का लेन देन नहीं कर सकता। एक तरफ वादी अनुबंध के तहत तीन लाख रूपयों का लाभ उठा रहा है, वही उसी अनुबंधपत्र को अवैध कह रहा है। कथित इकरारनामा सब रजिस्ट्रार जैसे सरकारी अधिकारी के समक्ष पंजीकृत हुआ है। वादी द्वारा कथित इकरारनामा को निरस्त करवाने के बजाय यह अभियोग दर्ज कराया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 29.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है, अतएव जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी शिवम उपाध्याय द्वारा पुलिस आयुक्त,आगरा को प्रार्थनापत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि उसके पिता संजय कुमार गांजा व चरस पीने के आदी हैं तथा वे उपचारत हैं। परिवारीजन उनकी नशे की आदत छुड़ाने के लिए प्रयासरत हैं। उसके पिता गांव मौजा रजरई व जिला आगरा में भूमिधर हैं, जिसकी सरकारी कीमत करीब 7.5 करोड़ रूपये है। उसके पिता की दिमागी हालत एवं नशे की आदत का लाभ उठाकर रामसनेही, विवेक यादव, दिनेश सिंह तोमर, बालकिशन शर्मा, जितेन्द्र सिंह,रौकी यादव, योगेश तोमर ने उसके पिता से संपत्ति खाता संख्या 00074 खसरा संख्या 196 रकबा 9.6150 है0 का 1/6 भाग यानी रकवा 1.6025 को हड़पने के आशय से षडयंत्र कर दिनांक 13.01.2026 को इकरारनामा गलत व झूठे तथ्यों पर पंजीकृत करा लिया। इकरानामा के अनुसार विक्रय का इकरारनामा कुल धनराशि 70,00,000 रूपये तय किया गया तथा बयाना में 25 लाख रूपये दिया जाना दिखाया गया, जिसमें दो लाख रूपये नकद पूर्व में तथा बाकी के 23 लाख रूपये बजरिये चैक अदा करना दर्शित किया गया है। शेष 45 लाख रूपये बैनामा एवं कब्जा व दखल के समय देने का कथन किया गया है। चूंकि खरीदारों की नीयत नेक नहीं थी तथा षडयंत्र के तहत जमीन हड़पने की योजना थी, इसलिए इकरारनामा में क्रेताओं द्वारा जालसाजी एवं छल के तथ्य स्पष्ट हो गये। क्रेताओं द्वारा दिये गये चैक में से चैक संख्या 105960 मु0 6,00,000 रूपये दिनांक 04.02.2026 को इण्डियन बैंक शाखा राजपुर चुंगी आगरा, चैक संख्या 654764 दिनांकित 02.02.2026 मु0 8,00,000 रूपये इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा फतेहाबाद, आगरा, चैक संख्या 184806 दिनांकित 13.01.2026 मु0 तीन लाख रूपये बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शहीद नगर, आगरा, चैक संख्या 184807 दिनांकित 03.02.2026 धनराशि मु0 छह लाख रूपये बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शाही नगर, आगरा देना दिखाये गये, उक्त चैक उसकी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा चैक के सत्यापन में चैकों पर प्रारंभिक सुरक्षा फीचर न होने के कारण, वापस कर दिये गये। बैनामा कराने हेतु 15 माह की अवधि दर्शित की गयी है एवं इकरारनामा में यह भी उल्लिखित किया गया है कि बयाना के तौर पर दिये गये चैकों का भुगतान तभी होगा, जब प्रथम पक्ष/वादी के पिता क्रेताओं को कब्जा देंगे, यदि वादी का पिता ऐसा नहीं करता है तथा न्यायालय में वाद योजित करता है तो उक्त इकरारनामा निरस्त नहीं होगा। चैकों का भुगतान

केवल तीन माह के अन्दर ही हो सकता है। उक्त सभी तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि वादी के पिता सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे एवं नशे की हालत में षडयंत्र कर उसके पिता की संपत्ति हड़पने के लिए इकरारनामा कराया गया है। जब उसे एवं गांव वालों को इस बारे में पता चला तो उसके द्वारा तहसील में जांच कराई गयी एवं उक्त इकरारनामा के बारे में पता चला। उसके द्वारा उक्त लोगों से पूछा गया तो सभी ने एक राय होकर उसे मां बहन की गालियां देते हुए धमकाया तथा कहा कि यदि संपत्ति वापस चाहिए तो उनको तीन करोड़ रूपये दो, यदि रूपये नहीं दिये तो वे संपत्ति पर अपना दावा नहीं छोड़ेंगे एवं जबरन ताकत के बल पर उसकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे।

वादी के प्रार्थनापत्र पर थाना एकता आगरा पर मु0अ0सं0 191/2026 अन्तर्गत धारा 318(4),338,336(3),61(2),352 भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी आगरा द्वारा जमानत का विरोध किया गया कि आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता के नशे के आदी एवं मानसिक स्थिति सही न होने पर भी, उनको तहसील में ले जाकर 7.5 करोड़ रूपये की भूमि के विक्रय का इकरारनामा मात्र 70,00,000 रूपये में किया गया तथा विक्रय अनुबन्धपत्र के समय दिये गये चैकों में से कई चैक बैंक द्वारा अनादरित कर दिये गये। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतएव जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा एवं आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों एवं पक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को के मध्य यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण तथा वादी के पिता संजय कुमार के मध्य कथित संपत्ति के विक्रय के संबंध में विक्रय अनुबन्धपत्र दिनांकित 13.01.2026 निष्पादित किया गया, जो निबन्धन कार्यालय में पंजीकृत हुआ। अभियोजन की ओर से यह कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा षडयंत्र के तहत, वादी के पिता, जो शराब के नशे के आदी थे, की स्थिति का फायदा उठाकर साढ़े सात करोड़ की भूमि को मात्र 70,00,000 रूपये में विक्रय करने के संबंध में विक्रय अनुबन्धपत्र निष्पादित कराया गया एवं विक्रय अनुबन्धपत्र

में वर्णित चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गये।

तत्सम्बन्ध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त दिनेश सिंह तोमर के खाते में आज भी पर्याप्त धनराशि है एवं जो चैक अभियुक्त द्वारा वादी के पिता को विक्रय अनुबन्धपत्र के समय दिया गया था, वह चैक बैंक द्वारा निर्गत किया गया है। यदि चैक बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया था तो उसके संबंध में वादी के पिता द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही नहीं की गयी है, न ही कथित विक्रय अनुबंधपत्र की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में वादी पक्ष की ओर से सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की गयी है।

इस अनुक्रम में केस डायरी के पर्चा संख्या–06 के अनुसार विवेचक द्वारा अभियुक्त दिनेश सिंह तोमर के बैंक खाते एवं उसमें जमा धनराशि के संबंध में बैंक से जानकारी प्राप्त की गयी तो बैंक द्वारा यह रिपोर्ट दी गयी कि वादी के पिता संजय कुमार को इकरारनामा के दौरान प्रयान किया गया चैक संख्या 105960 बैंक द्वारा खाता धारक दिनेश सिंह तोमर के खाते को प्रदान की गयी थी एवं दिनांक 07.02.2026 को खाताधारक दिनेश सिंह तोमर के खाते में पर्याप्त धनराशि थी।

इस स्तर तक उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार पक्षगण के मध्य तथाकथित विक्रय अनुबन्धपत्र में वर्णित धनराशि के लेन–देन का विवाद है। उपलब्ध प्रपत्रों एवं पक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को से यह भी निर्विवादित स्थिति है कि वर्तमान तक कथित विक्रय अनुबन्धपत्र के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि का विक्रयपत्र निष्पादित नहीं किया गया है एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में भी वादी के पिता का ही कब्जा है, जिसका कोई खण्डन अभियोजन की ओर से नहीं किया गया है। प्रश्नगत विक्रय अनुबन्धपत्र में वर्णित चैक के अनादरण होने के संबंध में वादी की ओर से सक्षम न्यायालय में कार्यवाही किया जाना नहीं कहा गया है, न ही कथित विक्रय अनुबन्धपत्र की शर्तो का उल्लंघन होने पर, उसके निरस्तीकरण आदि के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है। जब कि विगत तिथि पर वादी की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समय दिये जाने की प्रार्थना पर, उनको समय प्रदान किया गया, परन्तु वादी की ओर से कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी, न ही यह स्पष्ट किया गया कि वादी की ओर से कथित चैक के अनादरण एवं विक्रय अनुबन्धपत्र के निरस्तीकरण आदि के संबंध में कोई कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की गयी है अथवा नहीं? आवेदक/अभियुक्त दिनांक 29.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है, प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त की अन्य कोई आपराधिक पृष्ठभूमि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं

की गयी है। निर्विवादित रूप से आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

तदैव मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने हेतु आधार उचित एवं पर्याप्त प्रतीत होते हैं एवं जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **दिनेश सिंह तोमर** का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त दिनेश सिंह तोमर द्वारा **मु0 50,000/–रू0** का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किये जाये कि :–

1– आवेदक/अभियुक्त किसी भी अपराध में पुनः संलिप्त नहीं होगा।

2– आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त वादी मुकदमा अथवा अन्य साक्षियों को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।

(**संजय कुमार मलिक**)
सत्र न्यायाधीश
आगरा।
15.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.15 13:41:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court